भारत सरकार

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2024

9 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए

nhun;ky vaR;ksn; ;kstuk&,u;w,y,e

2024- MkWñ tsñ t;o/kZu%
Jh xtkuu dhfrZdj%
MkWñ lquhy cyhjke xk;dokM+%
dq¡oj gfjoa'k flag%
Jh lq/khj xqlrk%
Jh nq";ar pkSVkyk%
Jh fo|qr oj.k egrks%
Jh ,ñ v#.kef.knsou%
Jh ,lñvkjñ fot; dqekj%
Jh Vhñ jk/kkd`".ku%

D;k **vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj us lHkh 4041 lkafof/kd 'kgjh {ks=ksa dks nhu n;ky vaR;ksn; ;kstuk ds jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku ¼,u;w,y,e½ dh ifjf/k esa ykus dk fu.kZ; fy;k gS(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk vkSj blds mís'; D;k gSa(

¼x½ dkS'ky izf'k{k.k vkSj lyslesaV ;kstuk ds ek/;e ls jkstxkj ds varxZr izR;sd 'kgjh xjhc ds izf'k{k.k ij O;; gksus okyh jkf'k fdruh gS(

¼?k½ D;k 'kgjh xjhcksa dks O;fDrxr lw{e m|eksa vkSj lewg m|eksa dh LFkkiuk ds fy;s C;kt jktlgk;rk ds lkFk enn dh tk;sxh(

¼³½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(vkSj

¼p½ ljdkj }kjk iFkdj foØsrkvksa gsrq volajpuk vkSj dwM+k chuus okyksa] fu%'kDrksa gsrq uokpkjh ,oa fo'ks"k ifj;kstukvksa ds ek/;e ls 'kgjh xjhcksa dh enn ds fy;s D;k vU; dne mBk;s x;s gSa@mBk;s tk jgs gSa\

उत्तर

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख):जी, हां । देश के सभी शहरी गरीबों द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लाभ लेने के उद्देश्य से राज्यों को सांविधक कस्बों को उनकी स्थानीय क्षमता और आवश्यकता और प्रत्येक वर्ष स्कीम के अनुमोदित बजट के भीतर स्कीम का लाभ प्रदान करने की अनुमति भी प्रदान की गई है ।

(ग) दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम की मूल लागत घंटे के आधार पर निर्धारित की जाती है और उस क्षेत्र और कोर्स की श्रेणी के आधार पर निर्भर है जिसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है । लागत को छोड़कर, परिवहन लागतों भोजन और आवास लागतों, नियुक्ति के बाद सहायता देने आदि के लिए भी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है ।

(घ) और (ड.) दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्व-रोजगार कार्यक्रम' घटक के अंतर्गत लाभप्रद स्वरोजगार उद्यमों/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए व्यक्तिगत/शहरी गरीब समूहों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है । व्यक्तिगत उद्यमों के लिए परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 2.00 लाख रूपए और समूह उद्यमों के लिए 10.00 लाख रूपए है । व्यक्तिगत अथवा समूह उद्यम की स्थापना करने के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर से अतिरिक्त ब्याज की राशि ब्याज सब्सिडी के रूप में मुहैया करायी जाती है ।

(च) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करने, पथ विक्रय प्लान तैयार करने, विक्रय जोनों के अवसंरचनात्मक विकास, पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास आदि के लिए वित्तपोषण सहायता मुहैया कराया जाता है । मिशन के नवप्रवर्तन और विशेष परियोजनाओं के घटक का कूड़ा बीनने वालों, अशक्त व्यक्तियों आदि सहित शहरी गरीबों को नवप्रवर्तन परियोजनाओं के रूप में नवीन पहलों को प्रोत्साहित करने पर जोर है ।

*****